

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 12/2023
अपीलान्त

बनाम

रेस्पोडेन्ट

भगवानपुरी पुत्र प्रेमपुरी जाति गोस्वामी निवासी बुटाटी
तहसील सांजू जिला नागौर।

तहसीलदार सांजू जिला नागौर।

उपस्थिति :-

1. श्री सांवरराम चौधरी अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 30.09.2024

[1]-मामलें के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, सांजू द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 178/2022 सरकार बनाम भगवान पुरी में निर्णय दिनांक 19.01.2023 के तहत मौजा बुटाटी की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.03.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 14.03.2023 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्त द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 178/22 की फोटोप्रति, फोटोग्राफ-4 की प्रति पेश की।

[2]-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिन्दु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस मिलने पर नियत पेशी दिनांक 30.12.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ व इस संबंध में जानकारी की व निवेदन किया कि उसका मकान तो 50 साल पुराना है ग्राम पंचायत की आबादी में है, पट्टा सुद है व तत्पश्चात रजिस्टर्ड तर्कनामा के जरिये स्वामित्व का है नोटिस किस आधार पर दिया व स्वामित्व के सारे दस्तावेजात व दिखाये तो तहसील कार्यालय वालों ने अपीलान्त के हस्ताक्षर करवा लिये व कहा कि आप जवाब व दस्तावेजात बाद में पेश कर देना कार्यवाही खारिज हो जायेगी व दुबारा सूचना आवे तो वापिस आ जाना जिस पर अपीलान्त वापिस गांव आ गया। तत्पश्चात अपने मकान की फोटोज वगैरा भी खिंचवाये, आबादी का नक्शा लिया व पूछताछ करने पर जानकारों ने यही कहा गया कि आबादी की पट्टासुद भूमि के संबंध में ऐसी कार्यवाही नहीं हो सकती है जिससे अपीलान्त संतुष्ट हो गया लेकिन हाल ही में गांव में चर्चा सुनी कि अपीलान्त के पट्टासुद मकान से बेदखल करने का तहसीलदार से पटवारी ने फैसला करवा लिया है जिस पर अपीलान्त को बड़ा आश्चर्य हुआ व तहसील कार्यालय में जाकर दिनांक 20.02.2023 को पता करवा कर नकल का आवेदन पेश करवाया जिस पर सांय तक प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर जानकारी करवाई व दो दिन तक पूछताछ करता रहा जिस पर अपीलान्त के खिलाफ गलत फैसला धोखाधड़ी से करवाये होने के बारे में पूरी जानकारी मिलने व अपील करने की कानूनी राय मिली व शनिवार रविवार के अवकाश हो जाने व वर्तमान में सम्पूर्ण राजस्थान में अधिवक्ता संघ द्वारा हडताल की होने की जानकारी मिलने पर अपीलान्त तुरंत अपील पेश नहीं कर सका लेकिन पटवारी वगैरा दुर्भावनावश करवाये गये उक्त निर्णय की आड में अपीलान्त को पट्टासुद रजिस्टर्ड तर्कनामासुदा कब्जासुद स्वामित्व के 50 साल पुराने मकान से अपीलान्त को बेदखल करने की धमकियां देनी शुरू कर देने के कारण मामला आवश्यक प्रकृति का होने से यह अपील पेश की, जो जानकारी से अंदर मियाद है, जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत आवेदन पेश किया। न्याय हित में देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलान्त की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलान्त ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

[2]-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्त ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

[2](1)- अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरुद्ध व मौके की स्थिति के विपरीत, दुर्भावनापूर्वक, बिना विधि प्रक्रिया अपनाये, बिना सुनवाई किये, बिना वास्तविक जांच किये, बिना अतिक्रमी साबित हुए ही पारित किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

30/9/24
अपर कलक्टर, नागौर

{2}(II)- अधीनस्थ न्यायालय की प्रथम आदेशिका दिनांक 23.12.2022 में अपीलांट के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करके जरिये नोटिस दिनांक 30.12.2022 को तलब किये जाने का अंकन है और निश्चय पेशी दिनांक 30.12.2022 को अपीलांट उपस्थित हुआ व सारी स्थिति बतायी तो उसे कार्यवाही समाप्त कर देने का आश्वासन दिया व बाद में जवाब सबूत पेश करने का मौखिक रूप से कह आदेशिका पर उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर करवा लिये व अपीलांट को आगामी पेशी नहीं दी व कहा कि बाद में सूचना कर देगे व उसके बाद दिनांक 19.01.2023 को अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज कर, जवाबदेही बंद कर एकतरफा में अपीलांट की पीठ पीछे बिना किसी अर्जेन्सी के आनन फानन में उक्त निर्णय जैर अपील पारित किया है जो प्रथम दृष्टया अवैधानिक होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(III)- ऐसे किसी भी प्रकरण में जहां पच्चासों वर्ष पूर्व के रहवासी मकान आबादी भूमि में बने हुए हो, पट्टासुद हो, बिजली पानी के कनेक्शन पुराने समय से लिये हुए, घरों के सामने समय समय पर नाप चोप करके पक्की सडक सरकारी विभागों द्वारा बनाई हुई है इन मामलों में यदि पट्टावारी की ऐसी कोई अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश होती है तो उन परिस्थितियों में विशेष तौर पर गंभीरता से मामले को लेना चाहिए था व पीडित पक्ष को खुलासा जवाब व सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए व स्वयं के स्तर पर मौका स्थिति की जांच व नाप चोप करने आदि का तहसीलदार का विधिक दायित्व होता है मगर प्रकरण हाजा में ऐसी कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई है व येन केन प्रकारेण अपीलांट के पट्टासुद स्वामित्व के मकान को तोड़ने के दुराशय से ही सारी कार्यवाही की हुई है। क्योंकि नोटिस जारी होने के बाद दूसरी पेशी पर तुरन्त अपीलांट/अप्रार्थी उपस्थित हो गया व सारे हालात बताये मगर उसको यही कहा कि तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट गलत पेश हुई है कार्यवाही समाप्त कर दी जावेगी व बाद में जवाब व सबूत पेश कर देना व आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये। अपीलांट ग्रामीण परिवेश का मात्र साक्षर व्यक्ति है आदेशिका के बारे में कोई जानकारी नहीं दी व उसमें जवाब पेश करने हेतु समय चाहा का अंकन कर दिया व अगली पेशी दिनांक 19.01.2023 को जवाबदेही बंद करने की आदेशिका दर्ज कर फ़ैसला ही कर दिया, जबकि कम से कम तीन अवसर जवाब साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु दिये जाना आवश्यक व न्याय संगत होता है प्रथम तो अपीलांट को आगामी पेशी की जानकारी ही नहीं थी, जानबूझ कर अनुपस्थित नहीं रहा था, दायम में उसे तीन अवसर न्याय हित में ऐसे गंभीर प्रकृति के मामले में जवाब आदि पेश करने हेतु दिये जाने चाहिए थे, न तो ऐसा अवसर दिया न पट्टावारी हल्का के बयान लिये न जिरह करवाई और केवल मात्र राजनैतिक द्वेषतावश पट्टावारी से करवाई गयी मिथ्या रिपोर्ट को आधार मान कर एकतरफा में निर्णय जैर अपील पारित किया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(IV)- अपीलांट का उक्त मकान ग्राम बुटाटी की आबादी भूमि में कथित रास्ता खसरा नम्बर 122 से दूर स्थित है तथा कार्यालय ग्राम पंचायत बुटाटी द्वारा पट्टा बुक नम्बर 20 मिसल संख्या 196/2017-18 दायर दिनांक 08.06.2017 पट्टा नम्बर 0998 नाप 69.33 वर्गगज का अपीलांट के पिता प्रेमपुरी पुत्र रामेश्वरपुरी निवासी बुटाटी के नाम संकल्प संख्या 03/दिनांक 20.12.2017 की अनुपालना में दिनांक 20.12.2017 को जारी किया जो पट्टा बाकायदा मौका निरीक्षक, नाप चोप करके जारी किया जिस पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव बुटाटी, सरपंच ग्राम पंचायत बुटाटी व उप पंजियक सांजु जिला नागौर के हस्ताक्षर व सीले दर्ज है तत्पश्चात दिनांक 20.01.2022 को पंचायत की पाक्षिक बैठक में प्रस्ताव संख्या 2 के तहत इस पट्टे का नवीनीकरण किया गया जिसके नीचे भी ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम विकास अधिकारी सुरेन्द्र भाटी, सरपंच प्रहलाद सेवदा, उप पंजियक आदि के हस्ताक्षर, सीले है। कालान्तर में पट्टाधारी अपीलांट के पिता प्रेमपुरी का देहान्त हो जाने से अपीलांट की माता शारदा व बहिन पूजा गोस्वामी ने उक्त पट्टासुद मकान में अपना निहित हिस्सा अपीलांट भगवान पुरी व अपीलांट के अन्य भाई रविन्द्र पुरी के हक में तर्क कर उसका हक त्याग पत्र दिनांक 11.03.2022 को निष्पादित कर उप पंजियक कार्यालय सांजु में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 143 में पृष्ठ संख्या 200 क्रम संख्या 202203176100448 पर पंजीबद्ध किया गया, इस प्रकार उक्त मकान के अपीलांट व अपीलांट का भाई रविन्द्र पुरी पट्टासुद कब्जासुद मालिक हुए, रहे हैं और रजिस्टर्ड दस्तावेजात का निष्पादन व पंजीयन बाद जांच हुआ है ग्राम पंचायत की कार्यवाही को कोई चुनौती आज तक नहीं दी गयी है व रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र भी प्रभावी है तथा भूमि आबादी की है जिस बाबत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को नहीं होते हुए भी उपरोक्त सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए आनन फानन में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय जैर अपील पारित किया है जबकि मकान के मालिक अपीलांट के साथ साथ सहस्वामी रविन्द्र पुरी भी हैं इन परिस्थितियों में भी निर्णय जैर अपील विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

30.1.22
अपर क्लर्क, नागौर

{2}(V)—पटवारी हल्का ने अपनी कथित मिथ्या रिपोर्ट अपूर्ण, अस्पष्ट गलत तथ्य दर्ज कर पेश की है व मौके पर कब्जा संवत् 2079 का यानि हाल ही का बताया है जबकि यह मकान तो 50 साल पुराना पट्टा सुद जायगा पर ही बना हुआ है बिल्डिंग लाईन में है मौके पर 60 फुट से भी अधिक चौड़ाई में सडक बनी हुई है ऐसी स्थिति में न तो हाल ही का कब्जा माना जा सकता है न ही मौके पर रास्ता में कोई अवरोध हो रहा है। बहुत चौड़ा रास्ता मौके पर मौजूद है सडके बनी हुई है मकान पीढियों पुराना बिल्डिंग लाईन में बिल्कुल सीध में है समय समय पर रंग रोगन आवश्यक मरम्मत की जाती रही है और ग्राम पंचायत ने पूरी आबादी भूमि का नाप चोप करके आबादी भूमि के मकानों के ही पट्टे जारी किये गये थे, इस मकान के पास ही अनेकों मकान बने हुए हैं जो भी पीढियों पुराने हैं जिनको भी नियमानुसार पट्टे जारी किये हुए हैं लेकिन वर्तमान सरपंच राजनैतिक द्वेषता के कारण अपीलान्ट व अन्य को अपनी पार्टी के विरोधी मानकर जब से चुनाव जीते हैं तब से येन केन प्रकारेण तंग परेशान करता रहा है व पटवारी पर दबाव बना कर मिथ्या रिपोर्ट हमें नाजायज क्षति कारित करवाने के लिए पेश करवाई व राजनेतिक रसूखात के चलते बहुत ही जल्दबाजी में अपीलान्ट की जवाबदेही बंद करवा कर धोखे में रख कर दबाव व प्रभाव से अपीलान्ट की पीठ पीछे इस तरह का आदेश तहसीलदार से पारित करवा कर अपीलान्ट के साथ भारी अन्याय किया जा रहा है जबकि अपीलान्ट व उसके भाई के मकानों व अन्य मकानों के आगे 100x100 फुट की खुली जायगा पडी है जो आम गवाड है उक्त गवाड में हमारे गोस्वामी समाज की जीवित करीब 100 पुरानी समाधियां हैं जिसमें छतरी वगैरा बनी हुई है तथा हमारे मकान के पास महादेवजी का मन्दिर 100-150 वर्ष पुराना बना हुआ है, हमारे मकान के आगे ग्राम पंचायत द्वारा सी.सी.ब्लॉक का निर्माण करवाया हुआ है इस प्रकार हमारे मकानों की जायगा आबादी भूमि में है व समय समय पर ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी योजना अनुसार मकानों के आगे नाप चोप करके सडक आदि बनाई जाती रही है व यहीं पर निवास के दौरान सर्वे होकर सारी दस्तावेजात जारी किये हुए हैं विद्युत पानी के कनेक्शन लिये हुए हैं आबादी के खसरा नम्बर 752 है उसी में यह जायगा आती है खसरा नम्बर 122 रास्ता पर कोई अवरोध नहीं है न ही किसी प्रकार से आवागमन बाधित हो रहा है जहां पीढियों से रास्ता चलता वहीं आज चल रहा है। इसके बावजूद पटवारी हल्का व तहसीलदार द्वारा आबादी क्षेत्र में रास्ता की भूमि का जरीब से नाप चोप डिमार्केशन किये बिना व मौके पर रास्ता कितने फुट चौड़ा है इसकी कोई जांच व उल्लेख किये बिना अत्यंत ही जल्दबाजी में एकतरफा में सारी कार्यवाही अपीलान्ट को नाजायज क्षति कारित करने के दुराशय से की गयी है इन परिस्थितियों में कार्यवाही दुषित होने से निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(VI)— पूर्व में सन 2020 में राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों की टीम द्वारा जरीब से नाप चोप सर्व किया उसमें भी कोई अतिक्रमण नहीं माना गया था, जो सारा रिकार्ड तहसील कार्यालय में उपलब्ध होते हुए व पटवारी वगैरा को जानकारी होते हुए भी उन तथ्यों को छुपा कर व जानबूझ कर नजर अन्दाज करते हुए निर्णय जैर अपील पारित करवाया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VII)—अपीलान्ट को पटवारी हल्का व तहसीलदार सरपंच वगैरा के दबाव में आकर व राजनेतिक प्रभाव के चलते कथित विधि विरुद्ध निर्णय की आड में आनन फानन में मकान से बेदखल कर मकान को ध्वस्त करने व अपीलान्ट को परिवार को बेघर करने व भारी क्षति कारित करने पर आमादा है जबकि मकान अभी का नहीं है पुराना पट्टासुद जायगा पर ही बना हुआ है परिवार के अन्य कोई निवास की जगह नहीं है इन परिस्थितियों में अपीलान्ट को अपूर्ण क्षति होने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है जबकि अपीलान्ट के विरुद्ध किसी की भी कोई शिकायत नहीं रही है तथा मौके पर रास्ता बहुत बड़ा चल रहा है सडक बनी हुई है चारों तरफ व आस पास आबादी के पट्टासुद मकानात आये हुए हैं ऐसे में अपीलान्ट के परिवार विशेष के विरुद्ध ऐसा निर्णय कर उनको बेदखल करना कतई उचित व न्याय संगत नहीं है न ही ऐसी विधि की मंशा है ऐसी स्थिति में निर्णय जैर अपील स्पष्ट रूप से विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

{3}—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलान्ट द्वारा मौजा बुटाटी में स्थित गै. मु. रास्ता पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

30/9/24
अपर क्लर्क, नागौर

{4}- उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, सांजू द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 178/2022 सरकार बनाम भगवानपुरी में निर्णय दिनांक 19.01.2023 के तहत मौजा बुटाटी की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 21.12.2022 के अनुसार मौजा बुटाटी के खसरा नं. 122 की भूमि रकबा 0.0020 हैक्टेयर पर पक्के मकान के अतिक्रमण का अंकन है परन्तु उक्त मौका रिपोर्ट में न तो अतिक्रमण की गई जायगा का नक्शा है एवं न ही मौका रिपोर्ट बनाते समय अपीलान्ट की उपस्थिति है। पटवारी का यह दायित्व था कि वह मौका रिपोर्ट बनाते समय अतिक्रमण स्थल का मौका निरीक्षण करते एवं अतिक्रमण स्थल का पूर्ण ब्यौरा एवं नक्शा सहित अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन करते। पटवारी ने उक्त मौका रिपोर्ट बिना जांच व तथ्यों का विवेचन किये बनाई जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार डेगाना द्वारा मौजा बुटाटी के प्रकरण संख्या 178/2022 निर्णय दिनांक 19.01.2023 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि नाप चोप हेतु एक टीम गठित की जाकर मौके पर आराजी भूमि की पैमाईश मुस्तकिल पाईन्ट निर्धारित कर पूर्व सूचना देकर अपीलान्ट की मौजूदगी में करवायी जावे तथा अपीलान्ट को पर्याप्त सबूत, शहादत व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

30/9/24
(चम्पालाल जीनगर)
अपर क्लर्क,
नागौर